भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4047
दिनांक 19 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति

4047. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया :
डॉ. मनोज राजोरिया :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए सरकार द्वारा हर साल गेहूँ और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खाद्यान्न का आवंटन कब तक किया जाएगा?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य सहित देश में पोषण के निर्धारित मानदंडों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को भोजन एवं खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। 2020-21 में पात्रता के अनुसार राजस्थान राज्य को आवंटन किया गया। जिला-वार विवरण **संलग्न** है।

****